



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/SER-2686/DL/51/2025-RU-IV

Date : 18.02.2026

To,

The Chairman,
NDMC, 3rd Floor,
Palika Kendra, Parliament Street,
New Delhi-110001
E.mail: chairperson@ndmc.gov.in

Sub: Representation against unjust degradation of seniority in NDMC- letter dated 15.09.2025 of Shri C.L. Meena, Executive Engineer (Civil), NDMC.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 02.12.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for information.

Yours faithfully

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav

उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:-

Shri C. L. Meena,
Executive Engineer (Civil),
NDMC, Palika Kendra,
Parliament Street,
New Delhi-110001
Mobile No:9891330200

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-2686/DL/51/2025-RU-IV

एनडीएमसी में वरिष्ठता के अन्यायपूर्ण हास के संबंध में - श्री सी. एल. मीणा, अधिशासी अभियंता (सिविल), एनडीएमसी, नई दिल्ली की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को अपराह्न 14:30 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार।

श्री सी. एल. मीणा, अधिशासी अभियंता (सिविल), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने दिनांक 15.09.2025 के अभ्यावेदन में अवगत कराया है कि उन्होंने 03.08.1990 को एनडीएमसी में डिप्लोमा धारक (सिविल) के रूप में सेवा प्रारंभ की। तत्पश्चात उन्हें 29.12.2005 को डिग्री कोटा के अंतर्गत (तदर्थ आधार पर) सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया तथा वर्ष 2016 में उन्हें अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एनडीएमसी द्वारा दिनांक 19.08.2024 को जारी वरिष्ठता सूची में उन्हें उनके कनिष्ठ अधिकारियों से नीचे स्थान दिया गया है, जबकि वर्ष 1991 एवं 2000 में सेवा में नियुक्त अधिकारियों को उनसे ऊपर दर्शाया गया है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई मनमानी, भेदभावपूर्ण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वरिष्ठता के इस अन्यायपूर्ण हास के कारण, वर्ष 2016 से अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर निरंतर कार्यरत होने के बावजूद, हाल ही में जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 11.09.2025 में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। याचिका से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि एनडीएमसी द्वारा एक अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के साथ भेदभाव किया गया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 19.09.2025 को चेयरमेन, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), नई दिल्ली को विषय से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु नोटिस जारी किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा दिनांक 17.10.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट की गई।

3. प्रकरण में उक्त उत्तर को आयोग द्वारा दिनांक 30.10.2025 के पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता को अग्रेषित किया गया था। रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर एवं शिकायतकर्ता के अनुरोध पर आयोग में सुनवाई निर्धारित की, जिसके लिए तदनुसार संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग नोटिस जारी किए गए।

4. प्रकरण में सुनवाई के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), नई दिल्ली एवं अन्य अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, एवं शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा विस्तृत चर्चा हुई।

आशा लकड़ा

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती हैं :

i. प्रकरण में प्राप्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता श्री C. L. Meena की नियुक्ति, पदोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण NDMC द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों, विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की संस्तुतियों तथा UPSC द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप किया गया है। Degree एवं Diploma धारकों के लिए पृथक वरिष्ठता सूची न्यायालयीय निर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी तथा अस्थायी वरिष्ठता सूची पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की संस्तुति के आधार पर विधिवत रूप से अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः इस प्रकरण में आयोग द्वारा किसी अतिरिक्त/अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है एवं प्रकरण को बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
04/02/2026
(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-2686/DL/51/2025-RU-IV

Sitting to be held on **02.12.2025 at 02.30 P.M.** Representation against unjust degradation of seniority in NDMC- letter dated 15.09.2025 of **Shri C.L. Meena**, Executive Engineer (Civil), NDMC.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member'	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	Officers from O/o Chairman, NDMC, New Delhi		
1.	<i>Keshav Chandra,</i> Chairman, NDMC.		<i>[Signature]</i>
2.	<i>Ranjana Deswal</i> OSD (Per) NDMC		<i>[Signature]</i>
3.	<i>Vijay Ahluwalia</i> Director (Per.)		<i>[Signature]</i>
4.	Surender Kumar Liaison Officer for SC&ST		<i>[Signature]</i>
5.	<i>C.L. Meena</i> Executive Engineer (Civil)		<i>[Signature]</i>
6.			
III	Petitioners		
1.	<i>C.L. Meena</i> Executive Engineer		<i>[Signature]</i>
2.			